न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 31/2023

प्रार्थीगण

1. शारदा पुत्री स्व. हीरालाल के कायम मुकाम 1/1 कविता पुत्री स्व. गेरीमल निवासी इन्द्रा कॉलोनी बिलाडा
2. भंवरलाल पुत्र स्व. हीरालाल
3. चम्पालाल पुत्र स्व. हीरालाल सभी जातियान खटीक निवासीगण खटीकों का बास, बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. इन्द्रादेवी पत्नी चैनाराम
2. चैनाराम पुत्र स्व. हीरालाल निवासीगण खटीकों का बास बिलाडा
3. डुंगरराम पुत्र स्व. मंगलाराम सिलारी रोड पीपाड शहर जिला जोधपुर
4. कानाराम पुत्र मंगलाराम निवासी इन्द्रा कालोनी कस्बा बिलाडा
5. लिछमादेवी पुत्री मंगलाराम पत्नी भंवरलाल खिची मानसागर शिवपुरी खटीक बस्ती जोधपुर
6. भीकाराम पुत्र पीराराम डिडवानिया(खटीक) निवासी मानसागर शिवपुरी खटीक बस्ती जोधपुर जिला जोधपुर
7. रामलाल पुत्र पीराराम डिडवानिया (खटीक) निवासी कीर्ति नगर जोधपुर
8. सुरज नागौरा पुत्र सोनाराम नागौरा पत्नी मेघाराम खिची (खटीक) निवासी खटीकों का बास पोकरण जिला जैसलमेर
9. केसर पुत्री सोनाराम नागौरा पत्नी मेघाराम खिची (खटीक) निवासी खटीकों का बास पोकरण जिला जैसलमेर
10. श्रीमती मंजू पुत्री सोनाराम नागौरा पत्नी हरीश चन्देल (खटीक) निवासी हास्पीटल के पास खटीकों का बास मारवाड जंक्शन जिला पाली
11. श्रीमती कमला पुत्री पीराराम डिडवानिया (खटीक) निवासी सी/ओ ओमप्रकाश, श्रवणकुमार बाईपास कामा रोड आहोर जिला जालोर।
12. श्रीमती राजू पुत्री पीराराम डिडवानिया पत्नी जगदीश नागौरा (खटीक) निवासी खटीकों का बास लवेरा बावड़ी जिला जोधपुर हाल रामदेव कालोनी पोकरण जिला जैसलमेर
13. श्रवण पुत्र स्व. बाबुलाल
14. अशोक पुत्र स्व. बाबुलाल
15. संगीता पुत्र स्व. बाबुलाल पत्नी अमरचन्द बंशीलाल खटीक
16. राधा देवी पत्नी बाबूलाल निवासीयान नीलम सिनेमा के पीछे धोरे पर बालोतरा, जिला बाडमेर
17. सीमिया पुत्री स्व. बाबूलाल पत्नी गणपत नागौरा निवासी खटिकों का बास पालासनी जिला जोधपुर
18. कमला देवी पत्नी दलाराम (दलीचन्द) पुत्री स्व. प्रतापराम भीलवाला निवासी महावीर नगर कलाल मोहल्ला बाडमेंर जिला बाडमेंर
19. लिछमा देवी पुत्री स्व. प्रतापराम भीलवाला पत्नी स्व. नाथूराम चावला निवासी हमीरपुरा कलाल मोहला गंगा स्कूल के पास जिला बाडमेरं।
20. दरिया देवी पुत्री स्व. प्रतापराम भीलवाला पत्नी नारायणराम नागौरा निवासी निलम सिनेमा के पीछे बालोतरा जिला बाडमेर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री सुनील पटेल अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 1 से 9, 12 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 10, 11 व 13 से 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी सं. 21 – सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक: 23/12/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ता 20 के विरूद्ध बहुत ही मजबुत आधारो पर बेचाननामा दिनांक 21/2/2012 को शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने व नामान्तरणकरण शून्य करवाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की प्रबल सम्भावना है। प्रार्थीगण की माता स्वर्गीय केली देवी द्वारा कस्बा बिलाड़ा की सरहद के चक नंबर 1 एक स्थित खसरा नंबर 1635 रकबा एक बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1640, रकबा एक बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, कुल रकबा पांच बीघा नौ बिस्वा चाही चारम एवं खसरा नंबर 1636 रकबा एक बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 13 चाही चारम का 1/2 हिस्सा एवं खसरा नंबर 1639 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन बैरा का 1/2 हिस्सा कुल रकबा 6 बीघा 15.5 बिस्वा उक्त जमीन को रुपए 22,750/– में चूकती रकम प्रतिफल स्वरूप दिए जाने पर स्व. केली देवी ने खातेदार गणेशराम व मंगलाराम पीसरान प्रतापजी जाति खटीक, निवासी बिलाड़ा से दिनांक 6/2/1984 को पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद कर बेचाननामा निष्पादित करवाया जो बेचाननामा उप पंजीयन कार्यालय बिलाड़ा द्वारा दिनांक 8/2/1984 को दस्तावेज संख्या 78, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 110, पृष्ठ सं. 182 पर पंजीबद्ध किया गया तत्पश्चात प्रार्थीगण की माता स्व. केली देवी के पक्ष में उक्त बेचाननामा के आधार पर नामांतरणकरण संख्या 1350 अमल दरामद कर बतौर खातेदार काश्तकार बनी उक्त म्यूटेशन को आज तक चुनौती नही दी गई है। इस प्रकार स्व. केली देवी उक्त खसरान की पूर्ण मालिक व स्वामीनी होकर कब्जा काश्त रही थी। प्रार्थीगण की माता स्व. केली देवी के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थी सं. 2 चेनाराम पुत्र हीरालाल खटीक जो केलीदेवी के जाति बिरादरी का होने से चेनाराम द्वारा स्व. केली देवी को प्रस्ताव दिया कि दोनो खातेदारान के बीच अदला बदली (एक्सचेंज डीड) लिखवा दी जावे ताकि दोनो खातेदारान के बड़े टुकड़े हो जाने से दोनो पक्षो को काश्तकारी मे सुविधा रहेगी। जिस पर स्व. केली देवी द्वारा चेनाराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिनांक 31/5/1986 को स्व. कैली देवी के खसरा नंबर 1636, 1637, 1635, को चेनाराम को जरिए एक्सचेन्ज डीड के एवं चेनाराम के खातेदारी के खसरा नं. 1642, 1641 भूमि को केली देवी के नाम आपसी सहमति से एक्सचेंज डीड लिखी गई। साथ ही खसरा नंबर 1639 स्थित गैर मुमकिन बेरा में दोनो पक्ष का 1/2–1/2 हिस्सा यानी की धेड़ व बिजली कोटड़ी के पूर्व तरफ की सडे की भूमि आद (1/2) की चेनाराम के हिस्से मे तथा घेड के पश्चिम तरफ की सड़े की आद (1/2) की भूमि स्व. केली देवी के हिस्से की रखी जाकर एक्सचेंज डीड दोनो पक्षकारान के बीच सहमति से लिखी जाकर तहसीलदार बिलाड़ा के

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा मुताबिक अदला बदली एक्सचेंज डीड अनुसार दोनो खातेदारान स्व. केली देवी एवं चेनाराम के नाम नामान्तरणकरण अमल दरामद किया गया। चेनाराम अप्रार्थी सं. 2 की नीयत हमेशा से ही स्व. केलीदेवी की जमीन येन केन प्रकरेण हड़पने की रही थी, जिसके अनुक्रम में चेनाराम अप्रार्थी सं. 2 द्वारा स्व. प्रताप जी खटीक की पुत्रीया सुआ देवी, श्रेणी देवी के वारीसान एवं स्वर्गीय मंगलाराम, स्वर्गीय गणेशराम के पुत्रान को सिखावट मे एवं लालच देकर उप खण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर मे एक राजस्व अपील संख्या 1/2008 व बअनवान सुआ देवी बनाम भंवर लाल वगैरा के नाम म्यूटेशन संख्या 315 जो स्व. प्रताप जी के मृत्यु उपरांत फौतेदगी नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत बिलाड़ा द्वारा दर्ज किया गया था जिसे चेलेंज किया गया जिसमें दूरभिसंधि कर खातेदार स्व. केलीदेवी को पक्षकार ही नही बनाया गया था जबकि स्व. केली देवी जरिये बेचाननामे के काबिज मालिक काश्तकार थी एवं राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज था इसके उपरांत भी बाले बाले सुआदेवी वगैरा ने स्वर्गीय मंगलाराम व स्वर्गीय गणेशराम के वारिसान से मिलीभगत वं दुरभिसंधि कर म्यूटेशन संख्या 315 को निरस्त करवाकर तहसीलदार बिलाड़ा के सामने आलोच्य आदेश दिनांक 25/6/2009 को प्रस्तुत कर तहसीलदार महोदय बिलाड़ा के समक्ष गलत तथ्य रखते हुए बिना स्वर्गीय केली देवी को नोटिस दिए ही बाले बाले म्यूटेशन सुआ देवी के वारिसान, श्रेणी देवी, के वारिसान एवं स्व.मंगलाराम व स्व. गणेशराम के वारिसान के नाम गलत आधारों पर अमल दरामद कर लिया गया ऐसा आदेश केली देवी के विरुद्ध शुरू से ही शून्य एवं प्राकृतिक साम्य एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था। उक्त तथाकथित आलोच्य आदेश की जानकारी मिलने पर केलीदेवी द्वारा उक्त आलोच्य आदेश की सत्यप्रति प्राप्त कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे आलोच्य आदेश दिनांक 25/6/2008 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी परन्तु चेनाराम अप्रार्थी सं. 2 द्वारा एक आम मुख्त्यार दिखाकर एवं एक राजीनामा भी स्व. केलीदेवी के साथ लिखित करते हुए स्व. केलीदेवी को उक्त प्रकरण मे राजीनामा करवा देने का आश्वासन देकर उक्त अपील को विड्रोल करवा दिया गया था। इसके उपरांत भी चेनाराम द्वारा दुराशपूर्वक राजीनामे का बहाना बनाकर कई समय तक टालमटोल करता रहा। दिनांक 26/10/2013 को कैली देवी की मृत्यु हो गयी थी। अभी हाल ही में केली देवी की पुत्री वादी शारदा द्वारा अपनी माता के स्वर्गवास के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन दिनांक 15/12/2022 को भरवाया गया तथा जिसकी नकल दिनांक 20/12/2022 को प्राप्त किए जाने पर प्रथम बार आंशिक जानकारी में आई कि चेनाराम द्वारा उक्त सुआ देवी के वारिसान, श्रेणी देवी के वारिसान एवं स्व. मंगलाराम के वारिसान एवं गणेशराम के वारिसान से उक्त विवादित खसरा संख्या 1640, 1643, एवं 1639 गैर मुमकिन बेरा बाबत एक आम मुख्त्यारनामा प्राप्त करते हुए अपनी पत्नी इंद्रा देवी के नाम से दूराश्यपूर्वक बेचाननामा भी पंजीयन

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कार्यालय बिलाड़ा में दिनांक 21.2.2012 को पुस्तक सं. 1. जिल्द सं. 349, पृष्ठ सं. 178, कम सं. 2012000721 पर पंजीबद्ध करवा लिया था जिसकी प्रार्थिया को जमाबंदियां देखने पर पंजीयन कार्यालय बिलाड़ा से तथाकथित बेचाननामा की सत्यप्रति प्राप्ति हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 17/2/2023 को तथाकथित बेचाननामा की सत्यप्रति प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई थी। जानकारी होने पर यह दावा श्रीमान के समक्ष प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध प्रभाव शून्य घोषित किए जाने बाबत प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व खातेदार मंगलाराम, गणेशराम पीसरान प्रताप जी खटीक द्वारा प्रार्थीगण की माता स्वर्गीय केली देवी के नाम पूर्ण प्रतिफल की राशि 22,750 प्राप्त कर बेचाननामा दिनांक 6/2/1984 वर्णित खसरान का बेचान किया गया था। बेचाननामे के पृष्ठ सं. 3 पर यह स्पष्ट वर्णित किया कि अब इस जमीन पर हमारा व हमारी किसी वारिसान का कोई हक हिस्सा यानी राइट टाइटल इंट्रेस्ट नही रहा है। इस जमीन को अपनी इच्छानुसार काम में लाकर हर प्रकार से मुन्तकिल कर सकेंगी, जिससे हमें व हमारी सभी वारिसान को कोई उज्ज नहीं हो सकेगा। इस प्रकार पूर्व खातेदार स्व. मंगलाराम व स्वर्गीय गणेशराम द्वारा स्व. केली देवी के नाम बेचाननामा निष्पादित किया जो दिनांक 8.2.1984 को दस्तावेज सं. 78, पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 11. के पृष्ठ सं. 182 पर पंजीबद्ध किया गया जिसमे यह स्पष्ट वर्णित किया गया कि उनके वारिसान का कोई हक हिस्सा यानी राइट टाइटल इंट्रेस्ट नही रहा है। इस प्रकार स्वर्गीय मंगला राम एवं स्व. गणेशराम के वारिसान का उक्त बेचाननामे से पूर्णतः बाधित होकर स्टोप्ड है यानी की स्व. मंगलाराम व स्व. गणेशराम के वारिसान का उपरोक्त खसरान की जमीन में कोई भी राइट टाइटल इंट्रेस्ट कानूनन भी नहीं रहा तो उनके द्वारा चेनाराम प्रतिवादी सं. 2 को दिए गए तथाकथित आम मुख्त्यारनामा दिनांक 15/2/2012 शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन है। ऐसे शून्य दस्तावेज से किसी प्रकार का कोई अधिकार चेनाराम अप्रार्थी सं. 2 को मिलना कतई कानूनन संभव नही है एवं ना ही अप्रार्थी सं. 1 को ऐसे शून्य दस्तावेज से जो बेचाननामा निष्पादित किया है उससे कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है एवं प्रार्थीगण स्व. केली देवी के वारिसान होने से उनके हिस्से अनुसार नामान्तरणकरण मे अपना नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। अभी हाल ही मे अप्रार्थीगण अपने खेत खसरान सं. 1641, 1642 की देखरेख करने गये तो अप्रार्थी सं. 1 व 2 खसरा नं. 1640, 1643 पर निर्माण कार्य करने हेतू पत्थर सीमेण्ट इत्यादी निर्माण सामग्री डलवा रखे थे तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 को उनके खसरा सं. 1640, 1643 मे निर्माण कार्य करने से मना किया गया एवं कानूनी कार्यवाही करने का कहा गया तो अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण को धमकाया कि उसकी राजनीतिक पंहूच है उच्च पुलिस अधिकारी उसका किरायेदार है इसलिये पुलिस थाना बिलाड़ा व न्यायालय भी उसका कुछ भी बिगाड़ नही सकते जल्द ही वह उक्त खसरा मे निर्माण कार्य करवा देगा उनको कोई रोक नहीं सकता। इस

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पर प्रार्थीगण जो शान्त व सभ्य नागरिक है मौके से डरकर वहां से निकल गया। दिनांक 25.6.2008 को उप खण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. पर दिये गये आदेश की आड़ मे अप्रार्थीगण सं. 3 ता. 20 द्वारा नामान्तरणकरण सं. 3773 एवं 3778 मे अपना नाम गलत आधारो पर एवं दूरभिसंधि कर तथा आवश्यक पक्षकार के अभाव मे उक्त नामान्तरणकरण अमल दरामद करवा लिया जो उक्त अनुसार शून्य है एवं नामान्तरणकरण मात्र फिस्कल प्रोसेडिंग है जिससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते है। इस प्रकार उक्त तथ्यात्मक एवं कानूनी आधारो अनुसार नामान्तरणकरण सं. 3773 एवं 3778 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.6.2008 को उप खण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा आलौच्य आदेश की अपील अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर मे अपील प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधिन है। उक्त तथाथित बेचाननामे के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 इन्द्रा देवी के नाम दिनांक 3.3.2012 को तहसीलदार महोदय द्वारा स्वीकृत किया गया उक्त तथाकथित बेचाननामा शून्य होने के आधार पर नामान्तरणकरण सं. 3801 को प्रार्थीगण निरस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण के हक मे प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा मिली भगत कर दूरभिसंधि कर प्रार्थीगण की माता स्व. केली देवी जो उक्त खसरान की जरिये बेचाननामा व एक्चेंज डीड अनुसार स्वामिनी व काश्तकार थी जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये प्रार्थीगण की माता के हिस्से की जमीन को हड़प करने की नियत से राजस्व अधिकारियो से मिली भगत कर बिना सूचना दिये ही प्रार्थीगण की माता के नाम को राजस्व रेकर्ड मे से हटा दिया जिनका कोई अधिकार अप्रार्थीगण को नही था। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण व उसकी माता को अपूर्णनीय क्षति पहुंचाने मे कोई कसर नही छोड़ी है और यदि श्रीमान न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्य को देखते हुए यदि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इस प्रकार उक्त तथ्यो व विधिक परिस्थितियो अनुसार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। इसलिये न्याय हीत मे अप्रार्थीगण को जरिये स्थगन आदेश के विधि विरूद्ध कार्य से रोका जाना आवश्यक है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय से गुजारिश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर का स्थगन आदेश जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण उक्त खसरा नं. 1640, 1643, 1639 मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे व राजस्व रेकर्ड मे कोई परिवर्तन नही करावे व आगे से आगे कोई बेचान नही करे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे कोई व्यवधान नही करे अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष मे हो उसे भी अता फरमाई जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 9 व 12 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 10, 11 व 13 से 20 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी सं. 10, 11 व 13 से 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 से 9, 12 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को कतई सफलता नहीं मिल सकती। ग्राम बिलाडा चक संख्या 1 तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल खसरा तीन कुल रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल खसरा दो कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा अवश्य आयी हुयी है, लेकिन उपरोक्त खातेदारी भूमि पूर्व में किसकी खातेदारी की थी, प्रार्थीगण ने दावे मे स्पष्ट नहीं किया है तथा न ही प्रार्थीगण ने पक्षकारों का सजरा खानदान पेश किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 1635, 1640, 1643, 1636, 1637, 1639 की खातेदारी भूमि पूर्व में धूलाराम पुत्र मदरूपराम जाति खटीक निवासी बिलाडा की थी। खातेदार धूलाराम के देहान्त के बाद उसकी खातेदारी भूमि उसके दो पुत्र प्रतापराम व हीरालाल के नाम से दर्ज की गयी। प्रतापराम का देहान्त सन् 1970 में हो गया। प्रतापराम के उत्तराधिकारी उसके दो पुत्र गणेशराम, मंगलाराम तथा दो पुत्रीया सुआदेवी, सेणीदेवी तथा उसकी पत्नी फूलीदेवी है। जिनमे से गणेशराम, मंगलाराम, सुआदेवी, सेणीदेवी व फूलीदेवी का देहान्त हो चुका है। गणेशराम का उतराधिकारी उसका गोद पुत्र भंवरलाल तथा मंगलाराम का उतराधिकारी उसके तीन पुत्र घेवरराम, भंवरलाल, डूंगरराम, कानाराम तथा दो पुत्रीया लिछमा व पानी है। जिसमे से घेवरराम का देहान्त हो चुका है, घेवरराम का उतराधिकारी उसके तीन पुत्र तुलछाराम, सुरेश, ईश्वर तथा तीन पुत्रीया समदु, मंजू, पूजा तथा उसकी पत्नी पिस्ता है। इसी प्रकार सुआदेवी पुत्री प्रतापराम का उतराधिकारी उसके दो पुत्र भीकाराम, रामलाल तथा तीन पुत्रिया शांति, कमला, राजू है, जिसमें से शांति का देहान्त हो चूका है। शांति के उतराधिकारी उसका एक पुत्र सूरज व दो पुत्रीया केसर, मंजू है। इसी प्रकार सेणीदेवी पुत्री प्रतापराम का उत्तराधिकारी उसके एक पुत्र बाबूलाल व तीन पुत्रीया कमला, लिछमा, दरिया है, जिसमे से बाबूलाल का देहान्त हो चुका है, बाबूलाल का उतराधिकारी श्रवण, अशोक सिमिया, संगीता व उसकी पत्नी राधा है। ग्राम बिलाडा चक संख्या 1 तहसील बिलाडा की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकचा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1638 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भूमि प्रतापराम, हीरालाल पिसरान धूलाराम की थी। संयुक्त खातेदार प्रतापराम, हीरालाल पिसरान धूलाराम ने अपनी खातेदारी भूमि का बंटवाडा कर लिया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 5 बिश्वासी की भूमि प्रतापराम पुत्र धूलाराम के बंट मे रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1638 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा की भूमि हीरालाल पुत्र धूलाराम के बंट में रखी गयी तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज की गयी। तत्पश्चात खातेदार प्रतापराम पुत्र धूलाराम का देहान सन् 1970 मे हो गया, उसके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 315 व 1347 स्वीकृत किये गये जो उसके दो पुत्र गणेशराम, मंगलाराम के नाम से स्वीकृत किये गये एंव राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 5 बिश्वासी की भूमि गणेशराम, मंगलाराम के नाम से दर्ज की गयी। उसके तत्पश्चात खातेदार गणेशराम, मंगलाराम पिसरान प्रतापराम से उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 5 बिश्वासी को श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 08.02.1984 को खरीद कर लिया। जो रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 08.02.1984 के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे नामान्तकरण संख्या 1350 को स्वीकृत कर श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) को खातेदार इन्द्राज कर दिया गया। तत्पश्चात

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 5 विश्वासी तथा अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम पुत्र हीरालाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा की भूमि को अदला बदली करने हेतु तहसीलदार बिलाडा के समक्ष दिनांक 02.06.1986 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार बिलाडा ने प्रकरण संख्या 3/1986 अनवान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर दोनों काश्तकारों की सहमति के बयान आदि को दर्ज कर उसी दिन दिनांक 02.06.1986 को विनियम पत्र का आदेश पारित कर दिया, जो विनियम पत्र के अनुसार खातेदार श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) की खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 कुल खसरा तीन कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम पुत्र हीरालाल की खातेदारी की, रखी गयी तथा खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम की खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा दो कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की भूमि श्रीमती केली पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) की खातेदारी की रखी गयी। उक्त विनियम पत्र दिनांक 02.06.1986 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या 1540 स्वीकृत कर भूमि को अलग अलग खातेदारी में इन्द्राज कर दी गयी। इस प्रकार विनियम पत्र दिनांक 02.06.1986 को श्रीमती केली देवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने स्वीकार किया है। ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाडा की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 5 विश्वासी की खातेदारी भूमि प्रतापराम पुत्र धूलाराम जाति निवासी बिलाडा की थी। खातेदार प्रतापराम के देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण सख्या 315 (खसरा नम्बर 1635, 1640, 1643, 1639) तथा नामान्तकरण संख्या 1347 (खसरा नम्बर 1636, 1637) का स्वीकृत किया गया, उस फौतेदगी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नामान्तकरण संख्या 315, 1347 को भरते समय प्रतापराम की दो पुत्रीया सुआदेवी व सेणीदेवी का नाम इन्द्राज नही किया गया तो श्रीमती सुआदेवी पुत्री प्रतापराम ने नामान्तकरण संख्या 315 को निरस्त कराने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष राजस्व अपील को पेश किया गया, जो राजस्व अपील दिनांक 25.06.2008 को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 315 को निरस्त कर दिया एवं प्रतापराम पुत्र धूलाराम के वारिशानों के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा प्रतापराम पुत्र धूलाराम के नाम से पुनः खातेदारी इन्द्राज कर दी गयी। इसी प्रकार सुआदेवी पुत्री प्रतापराम ने नामान्तकरण संख्या 1347 को निरस्त कराने हेतु न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (तृतीय) जोधपुर के समक्ष राजस्व अपील को पेश किया गया, जो राजस्व अपील दिनांक 06.10.2008 को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1347 को निरस्त कर दिया एवं मामला पुन सुनवाई करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को रिमाण्ड कर दिया, जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार विलाडा ने प्रकरण संख्या 10/2008 को दर्ज कर भूमि खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा का पुनः नामान्तकरण सुआदेवी, सेणीदेवी पुत्रीया प्रतापराम 1/4 हिस्सा तथा चौनाराम पुत्र हीरालाल 1/4 हिस्सा का स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतापराम पुत्र धूलाराम के दो पुत्र गणेशराम, मंगलाराम से भूमि खसरा नम्बर 1636, 1637 को श्रीमती केली देवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने खरीद कर लिया था और उसके बाद श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 1636, 1637 को विनिमय मे अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम को दे दी और बदले मे अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम की भूमि खसरा नम्बर 1641, 1642 को प्राप्त कर ली गयी। इस कारण तहसीलदार बिलाडा ने अपने आदेश दिनांक 29.04.2009 में स्पष्ट रूप से कथन किया कि खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा का श्रीमती केलीदेवी (प्रार्थीगण) द्वारा अनार्थी संख्या 2 चौनाराम को विनियम में अदा करने के कारण उपरोक्त भूमि के 1/2 हिस्सा में गणेश, मंगलाराम के हिस्सा के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम की भूमि राजस्व रेकर्ड मे सही दर्ज है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक एवं समीचीन है कि ग्राम बिलाडा चक संख्या 1 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा मे से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 5 विश्वासी प्रत्तापराम पुत्र धूलाराम की खातेदारी मे इन्द्राजशुदा थी। प्रतापराम के देहान्त के बाद उसकी खातेदारी भूमि उसके दो पुत्र गणेशराम, मंगलाराम के नाम से दर्ज कर दी गयी। तत्पश्चात गणेशराम, मंगलाराम की खातेदारी की उपरोक्त कुल 6 बीघा 15 बिस्वा 5 विश्वांसी भूमि को श्रीमती केली देवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने खरीद कर ली तथा उसके बाद श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 1635, 1640, 1643, 1636, 1637, 1639 को अदला बदली (विनियम) मे अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम को अदा कर दी है तथा उसके बदले मे श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने भूमि खसरा नम्बर 1641, 1642 को प्राप्त कर लिया है। अब चूकि प्रतापराम पुत्र धूलाराम की पुत्रियां सुआदेवी, सेणीदेवी ने अपने पिता प्रतापराम के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 315, 1347 को निरस्त कराने के बाद उसकी पुत्रियां सुआदेवी, सेणीदेवी का भूमि खसरा नम्बर 1635, 1640, 1643, 1636, 1637, 1639 में 1/4–1/4 हिस्सा निहित हो गया एवं उनके हिस्से की कुल 3 बीघा 7 बिस्वा 5 बिश्वासी भूमि बंट मे आती है। अब यहां पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि श्रीमती केली पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने प्रतापराम के वारिशान गणेशराम, मंगलाराम से भूमि को दिनांक 08.02.1984 को खरीद करने के बाद अपनी भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 5 बिश्वासी तथा अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम पुत्र हीरालाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा दो कुल रकबा 3 बीघा 12 विस्वा के बीच विनियम पत्र दिनांक 02.06.1986 को निष्पादित कर दिया गया। उस विनियम में श्रीमती केली पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने अपने पक्ष मे भूमि खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 6 विस्या, खसरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा दो कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की भूमि को प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार प्रतापराम के दोनो पुत्र गणेशराम, मंगलाराम का 1/4 1/4 हिस्सा की कुल 3 बीघा 7 बिस्वा 5 बिश्वासी भूमि को जरिये विनियम दिनांक 02.06.1986 को श्रीमती केली पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) को प्राप्त हो चुकी है तथा राजस्व रेकर्ड जमांबदी में खातेदारी इन्द्राज शुदा है तथा मौके पर काबिज है। श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) के मन मे खोट पैदा हो गयी और प्रार्थीगण विनिमय मे प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 1641, 1642 के अलावा भूमि खसरा नम्बर 1636, 1637 को बदनियति से हडप करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2008 के विरूद्ध माननीय न्यायालय

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर से समक्ष अपील पेश की गयी, उक्त राजस्व अपील पेश करने के बाद पक्षकारों के बीच सहमति बन जाने के कारण अपीलाण्ट श्रीमती केलीदेवी ने अपनी अपील को दिनांक 29.09.2011 को विड्रा खारीज करवा दिया। इस प्रकार गणेशराम, मंगलाराम का 1/4 – 1/4 हिस्सा यानि 3 बीघा 7 बिस्वा की भूमि श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) को विनियम मे खसरा नम्बर 1641, 1642 की कुल 3 बीघा 12 बिस्वा की भूमि प्राप्त हो चुकी है, इस कारण प्रार्थीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। ग्राम बिलाडा चक संख्या 1 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल खसरा तीन कुल रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा की उमादेवी खातेदारी प्रतापराम पुत्र धूलाराम के नाम से पुनः दर्ज करने के बाद प्रतापराम का देहान्त का भूमि खसरा नम्बर 1640, 1643 का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 3773, 3811 उसके पुत्र मंगलाराम के वारिशान तथा पुत्री सुआदेवी के वारिशान तथा पुत्री सेणीदेवी के वारिशान का स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात खातेदार मंगलाराम के वारिशान सुआदेवी, सेणीदेवी पुत्रीया प्रतापराम के वारिशानों ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा मे से 1/2 हिस्सा का वैचान हस्तान्तरण करने हेतु दिनांक 30.07.2018 को अपना एक आममुख्त्यारनामा चौनाराम पुत्र हीरालाल जाति खटीक निवासी बिलाडा को नियुक्त किया। उन्ही अधिकारों का प्रयोग करते हुए मंगलाराम के वारिशान सुआदेवी, सेणीदेवी के वारिशानों की तरफ से बहैसियत आममुख्त्यार की हैसियत से चौनाराम पुत्र हीरालाल ने भूमि खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा में से 1/2 हिस्सा का बैचान दिनांक 21.02.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती इन्द्रादेवी के पक्ष मे निष्पादित कर दिया एवं भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया। वैचाननामा दिनांक 21.02.2012 का राजस्व रेकर्ड मे नामान्तकरण संख्या 3801 को स्वीकृत कर जमाबंदी मे खातेदारी श्रीमती इन्द्रादेवी के नाम से दर्ज कर दी गयी है। इस प्रकार खातेदार मंगलाराम के वारिशान सुआदेवी, सेणीदेवी के वारिशानों की खातेदारी भूमि का विधि अनुसार पूरा प्रतिफल लेकर सही वैचान किया गया है एवं रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 21.02.2012 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधि अनुसार सही म्यूटेशन स्वीकार कर उसे राजस्व रेकर्ड मे सही से खातेदार दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण विधि अनुसार सही है एवं किसी कानून के विरूद्ध नहीं है। खरीद के समय से अप्रार्थी संख्या 1 शातिपूर्वक इस भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1640, 1643 को जरिये बैचाननामा दिनांक 21.02.2012 को खरीद कर उस पर काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार को अपनी भूमि की रक्षा करने हेतु तारबंदी व चार दीवारी का निर्माण कार्य करने हेतु का पुरा हक व अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को कभी भी कोई धमकी नहीं दी है। ग्राम बिलाडा चक संख्या 1 तहसील बिलाडा की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1640 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि कुल खसरा 6 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 5 विश्वासी भूमि गणेशराम, मंगलाराम पिसरान प्रतापराम की खातेदारी की थी। उक्त भूमि को श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने दिनांक 08.02.1984 को खरीद कर लिया तथा उसके बाद श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने अपनी खरीदशुदा भूमि मे 3 बीघा 7 विस्वा भूमि का हक होने के आधार पर अप्रार्थी सख्या 2 चौनाराम के साथ मिलकर विनिमय किया। उस विनिमय में श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) ने भूमि खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा , खसरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा दो कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम से प्राप्त कर ली। इस प्रकार प्रतापराम पुत्र धूलाराम के वारिशान गणेशराम, मंगलाराम का 1/4–1/4 हिस्सा की भूमि 3 बीघा 7 बिस्वा 5 बिश्वांसी को श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) को जरिये विनियम में प्राप्त हो चुकी है। इस कारण श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) द्वारा अन्य भूमि खसरा नम्बर 1635, 1640 1643, 1636, 1637 के बारे में क्लेम करने की कानूनन अधिकारी नहीं है तथा न ही भूमि खसरा नम्बर 1635, 1640, 1643, 1636, 1637, 1639 के संबंध में स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 3773, 3778, 3801 को निरस्त कराने के अधिकारी है तथा न ही वैचाननामा दिनांक 21.02.2012 को शून्य घोषित कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया केस नहीं बनता है तथा न ही तुलनात्मक सुविधा प्रार्थीगण के पक्ष में है। अस्थायी निषेज्ञाधा जारी नही करने से प्रार्थीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी। अप्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त कथन पेश किया जो इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने दावे में विकयपत्र की तारीख नहीं लिखी है लेकिन दावे के साथ विक्रयपत्र की प्रतिलिपि पेश की है वह विकयपत्र दिनांक 21.02.2012 का निष्पादित किया हुआ है, जिसका सब रजिस्ट्रार विलाडा के यहां दिनांक 21.02.2012 को पंजीयन किया गया था। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया दावा पंजीकृत विक्रय को शून्य करने के लिए 12 साल बाद पेश किया है, जो जाहिरा म्याद बाहर है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर दावे में म्याद के बारे मे कुछ नहीं लिखा है। अतः दावा म्याद कानून से बाधित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 1640, 1643, 1639 की खातेदारी सुआदेवी पुत्री प्रतापराम, सेणीदेवी पुत्री प्रतापराम, गुणेशराम, मंगलाराम पिसरान प्रतापराम की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खातेदारी मे थी एवं सुआदेवी के वारिशान, सेणीदेवी के वारिशान, गुणेशराम के वारिशान, मंगलाराम के वारिशान ने दिनांक 21.02.2012 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी को बैचान कर दिया था, उस बैचाननामे का सब रजिस्ट्रार बिलाडा द्वारा 21.02.2012 को पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड बैचाननामे मे सुआदेवी के वारिशान, सेणीदेवी के वारिशान, गुणेशराम के वारिशाान, मंगलाराम के वारिशानो के कब्जा खरीददार को सौपना लिखा है। उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नी चौनाराम का इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया, तब से इस भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1 का चला आ रहा है। बैचान दिनांक 21.02. 2012 से अधिक पुराना रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसकी सत्यता की कानूनी उपधारणा है, अतः कब्जे काश्त के बारे में वादीगण का कथन गलत है एवं बेबुनियाद है। खातेदार श्रीमती केली पत्नी हीरालाल ने अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा (0.1011 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा (0.1132 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा तथा खातेदार चौनाराम पुत्र हीरालाल ने अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि सासरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा की आपसी सहमति से भूमि को अदला बदली करने हेतु का तहसीलदार बिलाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का पेश किया गया। जो विनिमय प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं दोनों पक्षों के बयान सबूत लेकर दिनांक 02.06.1986 को भूमि की अदला बदली का निर्णय तहसीलदार बिलाडा द्वारा पारित किया गया ।

तहसीलदार बिलाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.1986 की पालना में म्यूटेशन संख्या 1540 दिनांक 28.06.1986 को स्वीकृत कर खातेदार श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल तथा चौनाराम पुत्र हीरालाल की भूमि अलग अलग खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। उक्त विनियम पत्र (Exchangedeed) के अनुसार श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) के बंट में भूमि खसरा नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1642 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा दो कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा चौनाराम पुत्र हीरालाल के बंट में भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा (0.1011 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 1637 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा (0.1132 हैक्टेयर) कुल खसरा तीन कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा रखी गयी। जो म्यूटेशन केली व चौनाराम की खातेदारी में दर्ज की गयी। इसी विनियम पत्र के अनुसार खातेदार श्रीमती केलीदेवी पत्नी हीरालाल (प्रार्थीगण) व अप्रार्थी संख्या 2 चौनाराम का कब्जा व काश्त है। जब तक विनियम पत्र प्रभावी है तब तक प्रार्थीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गयी भूमि में उसको 3 बीघा 7 विस्वा 5 बिश्वासी भूमि जरिये खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1641 व खसरा नम्बर 1642 से प्राप्त हो चुकी है। इस कारण प्रार्थीगण को कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है, अतः रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः बीना कब्जे काश्त के प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारीज करने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी सं. 21 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रथम दृष्टया मामले को सिद्ध करने का भार प्रार्थीया पर है। प्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस में बताया कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 1 में स्थित खसरा नंबर 1635, खसरा नंबर 1640, खसरा नंबर 1643, खसरा नंबर 1636, खसरा नंबर 1639 पूर्व में खातेदार गणेशराम, मंगलाराम पिसरान प्रताप जाति खटीक के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी जिसको दिनांक 6.2.1984 को पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर जरिये बैचाननामा प्रार्थीया की माता स्व. केली देवी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त बैचाननामा के आधार पर नामांतरकरण सं. 1350 भरा जाकर स्व. केली देवी बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई। दिनांक 31.05.1986 को स्व. केली देवी के खसरा नंबर 1636, खसरा नंबर 1637, खसरा नंबर 1635 को चैनाराम को तथा चैनाराम के खसरा नंबर 1642, खसरा नंबर 1641 को केली देवी के नाम आपसी सहमती से जरिये एक्सचैन्ज डीड किया गया। तथा साथ ही खसरा नंबर 1639 गैर मुमकिन बेरा में दोनों पक्षों का 1/2–1/2 हिस्सा किया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा स्व.प्रताप के वारिसान को लालच देकर उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर में राजस्व अपील सं. 1/2008 में नामान्तरकरण सं. 315 को चेलेन्ज किया जिसमें स्व. केलीदेवी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि स्व. केलीदेवी रेकर्डेड खातेदार थी। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा मिलीभगत कर नामान्तरकरण सं. 315 को निरस्त करवाकर तहसीलदार बिलाडा के सामने आलोच्य आदेश दिनांक 25.06.2009 को प्रस्तुत कर तहसीलदार बिलाडा के सामने गलत तथ्य रखते हुए स्व. केली देवी को नोटिस दिए बिना ही सुआदेवी के वारिसान, श्रेणी देवी के वारिसान एवं स्व. मंगलाराम व स्व. गणेशराम के वारिसान के नाम गलत आधारों पर नामान्तरकरण सं. 3773 व 3778 में इन्द्राज किया गया। केली देवी के फौत होने पर पुत्री शारदा द्वारा फौतेदगी नामां दिनांक 15.12.2022 को भरवाया गया

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तथा जिनकी नकल दिनांक 20.12.2022 को प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि चैनाराम द्वारा स्व.मंगलाराम के वारिसान व गणेशराम के वारिसान से उक्त वादग्रस्त खसरा सं. 1640, 1643, 1639 बाबत एक आम मुख्त्यारनामा दिनांक 14.03.2018 को प्राप्त कर अपनी पत्नी इन्द्रा देवी के पक्ष में दिनांक 01.08.2018 को रजिस्टर्ड बैचाननामा निष्पादित किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया कि बिलाडा चक 1 में स्थित खसरा नंबर 1635, खसरा नंबर 1640, खसरा नंबर 1643, खसरा नंबर 1636, खसरा नंबर 1639, खसरा नंबर 1637 को श्रीमति केलीदेवी पत्नी हीरालाल ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 08.02.1984 को खरीद कर लिया। नामान्तरकरण सं. 315 (खसरा नंबर 1635, 1640, 1643, 1639) तथा नामान्तरकरण सं. 1347 (खसरा नंबर 1636, खसरा नंबर 1637) को भरते समय प्रतापराम की दो पुत्रियां का नाम इन्द्राज नहीं किया गया तो सुआदेवी पुत्री प्रतापराम ने नामान्तकरण सं. 315 को निरस्त कराने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के समक्ष अपील को पेश किया, जिसे दिनांक 25.06.2008 को स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 315 को निरस्त कर प्रतापराम के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार नामा. सं. 1347 को निरस्त कराने हेतु न्यायालय अपर जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर के समक्ष राजस्व अपील पेश की जिसको दिनांक 6.10.2008 को स्वीकार कर नामा. सं. 1347 को निरस्त कर मामला पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को रिमाण्ड कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा विनिमय में प्राप्त भूमि खसरा नंबर 1641, 1642 के अलावा भूमि खसरा नंबर 1636, 1637 को बदनियति से हडप करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2008 के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसमें बाद में पक्षकारों के बीच सहमति बन जाने के कारण अपीलाण्ट श्रीमति केलीदेवी ने अपनी अपील दिनांक 29.09.2011 को विड्रा खारिज करवा दिया। ग्राम बिलाडा चक 1 तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 1635, 1640, 1643 खातेदारी प्रतापराम पुत्र धुलाराम के नाम से पुनः दर्ज करने के बाद प्रतापराम का देहान्त का भूमि खसरा नंबर 1640, 1643 का फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 3773, 3811 उसके पुत्र मंगलाराम के वारिशान तथा पुत्री सुआदेवी के वारिशान तथा पुत्री सेणीदेवी के वारिशान का स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात खातेदार मंगलाराम के वारिशान सुआदेवी, सेणीदेवी पुत्रीया प्रतापराम के वारिशानों ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1640, 1643, 1639 का बैचान हस्तान्तरण करने हेतु दिनांक 30.07.2018 को अपना एक आममुख्त्यारनामा चेनाराम पुत्र हीरालाल जाति खटिक निवासी बिलाडा को नियुक्त किया। उक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आममुख्त्यार की हैसियत से चैनाराम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पुत्र हीरालाल ने उक्त खसरों का बैचान दिनांक 01.08.2018 को अप्रार्थी सं. 1 श्रीमति इन्द्रादेवी के पक्ष में निष्पादित किया। अन्त में अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 2 का है। प्रार्थीया की माता द्वारा बिलाडा चक 1 के खसरा नंबर 1635, खसरा नंबर 1640, खसरा नंबर 1643, खसरा नंबर 1636, खसरा नंबर 1639, खसरा नंबर 1637 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा प्राप्त हुई। प्रार्थीया माता द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के साथ विनिमय पत्र के जरिये खसरा नंबर 1642, 1641 प्रार्थीया की माता को प्राप्त हुआ और खसरा नंबर 1635, 1636, 1637 अप्रार्थी सं. 2 चेनाराम को प्राप्त हुई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के आदेश के क्रम में खसरा नंबर 1640 व खसरा नंबर 1643 को पुनः खातेदार प्रतापराम पुत्र धूलाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाने से प्रार्थीया की माता का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया। वादग्रस्त खसरान में अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है अतः रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया। न्यायिक दृष्टान्त कॉल. संतप्रकाश सिंह बनाम हरजोश सिंह वगैरा 2017(1) आर.आर.टी. 491 में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि **विवादित सम्पति को वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए–व्यतिक्रम में वाद खारिज हुआ और पुनः स्टोर हुआ–इस दौरान प्रतिवादी एच.एस. ने संपति विक्रय की–भूमि के विक्रय होने का तथ्य निचले न्यायालयों के समक्ष प्रकट नहीं किया और प्रतिवादी एच.एस. के विरूद्ध निषेधाज्ञा स्वीकार की– निर्णीत, सम्पति की यथावत स्थिति रखने का पक्षकारों को निर्देश दिया तथा प्रतिवादी आगे सम्पति अन्य संक्रमित नहीं करेगा।** धारा 212 राजस्थान टीनेसी एक्ट में प्रावधान है कि वादग्रस्त भूमि को नुकसान पहुचाने की नियत से खतरा हो तो ऐसी स्थिति में सम्पति की सुरक्षा हेतु अनुतोष के रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधिकार के संबंध में गंभीर एवं सद्भावी डिस्प्यूट मानते हुए दावे का निस्तारण तक आराजी को हस्तान्तरित नही करना चाहिए। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– उपरोक्त विवादित भूमि खसरान पर वर्तमान में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 2 भूमि पर काबिज काश्त है, इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनना पाया जाता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति** :– अगर विवादित भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर दिया जायेगा तो मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा, जिसकी अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को कारित हो जायेगी। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में केवल अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने के कारण यह पूर्ण

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संभावना रहती है कि वादपत्र के निर्णय तक अगर अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का व्ययन किया जा सकता है। जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है तथा इन सब से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही होगी। अप्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि अगर उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती तो उन्हे किस प्रकार से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में भली–भांति साबित होने से प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रही हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने तथा वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान हस्तान्तंरण आदि नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 20 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बिलाडा चक 1 तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 1640, 1643, 1639 हेक्टयर का मूल वाद के निस्तारण तक अन्य किसी को बैचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही करे तथा विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 23/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा